सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : सोठाना, **कैम्प दिनांक 25.06.2018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 42/2006 **दायर तारीख :– 08.05.2006**

1. मूसाराम पुत्र भूराराम (फौत) — समस्त जाति धानका निवासी सोठाना तहसील विराटनगर
   - 1/1. रेवड राम } पुत्रान मूसाराम
   - 1/2. कैलाश }
   - 1/3. प्रभाती देवी पत्नि मूसाराम
   - 1/4. सन्ती देवी } पुत्रियां मूसाराम
   - 1/5. श्रवण देवी }

–– वादीगण

बनाम

1. दल्लाराम पुत्र भूराराम (फौत)
   - 1/1. सुन्दरी पत्नि दल्लाराम जाति धानका निवासी सोठाना, विराटनगर
   - 1/2. बीली पुत्री दल्लाराम पत्नि हरिराम जाति धानका निवासी द्वारापुर तहसील थानागाजी, जिला अलवर
   - 1/3. सरस्वती पुत्री दल्लाराम पत्नि शेखर } जाति धानका निवासी मानास
   - 1/4. हुरमा पुत्री दल्लाराम पत्नि रमेश } थानागाजी, जिला अलवर
2. ओंकार } पुत्रान दल्लाराम जाति धानका निवासी सोठाना
3. बाबूलाल } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
4. अर्जुन }
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 25.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सोठाना के खसरा नम्बर 66/0.01, 68/0.20 हैक्टेयर पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से अलग–अलग बांटकर काबिज काश्त है। वादी के आंखो से

web copy, not official

अन्धा होने एवं बच्चों के बाहर कमाने–खाने जाने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मन में दुर्भावना आ गई है, जिससे वादी के हिस्से की जमीन की काश्त नहीं करने दे रहे है। आराजी खसरा नम्बर 66/0.01 हैक्टेयर में चाह बनी हुई है, जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काम मे लेते आ रहे है तथा आराजी खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर के उत्तर दक्षिण दो हिस्से कर रखे है, बतरफ उत्तर का हिस्सा वादी के हक मे एवं बतरफ दक्षिण का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रहा है। वादी के अंधा होने से प्रतिवादीगण ने वादी के खिलाफ नाजायज संगठन बना रखा है, जो वादी के कब्जे काश्त में दखल करते हैं, जिससे अब वादी का प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम सोठाना के खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर कानूनी बंटवारा कराया जाकर रकबा 0.10 हैक्टेयर उत्तरी भाग का वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादी की उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। पैराकार सरकार उपस्थित।

3. प्रतिवादी का जवाब रहा कि वादी आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 66/0.01, 68/0.20 हैक्टेयर की काश्त नहीं करता है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का लगभग अर्सा 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 66/0.01 हैक्टेयर पर बने चाह का निर्माण प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं कराया है। मौके पर खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर का बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से आराजी क्रय की है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भूराराम का मृत्युभोज प्रतिवादी संख्या 1 ने किया था, जिसकी लागत राशि के हिस्से मे वादी ने अपना हिस्सा रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को दिया है, तब प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त होने से प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण

को आराजी खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का राजस्व रिकार्ड में हजफ फरमाया जावे।

4. वादी का जवाबुल जवाब रहा कि अपने पिता के मृत्यु भोज में अपने हिस्से का कर्जा गांव सोठाना के पंचों के निर्णय अनुसार 1200/–रूपये प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 17.10.81 को अदा कर दिया था, अपने हिस्से की जमीन का प्रतिवादी को कभी बेचान नहीं किया है, आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, अन्यथा में सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के खिलाफ एडवर्स पजेशन का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि एक सहखातेदार का कब्जा सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है। वादी ने अपने हिस्से का कभी बेचान नहीं किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रोपर फार्म में पेश नहीं किये जाने से काउन्टर क्लेम की तारीफ में नहीं आता है। अतः काउन्टर क्लेम मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया खण्ड संख्या 1 वादपत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 66/0.01 हैक्टेयर में चाह बनी हुई है एवं खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर का बांटकर काश्त कर रहे है, जिसका कानूनी बंटवारा कराने का वादी अधिकारी है ? **—— जिम्मे वादी**
2. आया वादी, प्रतिविादीगण को अपने हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करने के लिए पाबन्द कराने का अधिकारी है। **—— वादी**
3. आया खसरा नम्बर 66/0.01 में बना चाह प्रतिवादी संख्या 1 का स्वयं का बनाया हुआ है एवं खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर का 1/2 भाग प्रतिवादी ने वादी से क्रय किया हुआ है, वादी का कोई हिस्सा नहीं है ? **—— जिम्मे प्रतिवादी**
4. आया खसरा नम्बर 68 सम्पूर्ण रकबे पर प्रतिवादी का कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने एवं वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ? **—— जिम्मे प्रतिवादी**
5. आया वादी ने वर्ष 1981 में गावं के पंचों के निर्णय अनुसार कर्जा के 1200/–रूपये अदा कर दिये थे, प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि का कभी कोई बेचान नहीं किया ? **—— जिम्मे वादी**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. वादी ने अपने वादपत्र/तनकियात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 67 संवत् 2060–2067 Ex.-1, नकल नक्शा ट्रेस Ex.-2, लिखावट दिनांक 31.07.81 Ex.-3, लिखावट दिनांक 16.10.81 Ex.-4 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।
   मौखिक साक्ष्य के रूप में रेवडराम पुत्र मूसाराम PW.-1, मूलचन्द पुत्र सरदारा PW.-2, जगदीश पुत्र सरदारा PW.-3 के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर न्यायालय में परीक्षित करवाया गया।
7. प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में ओमकार पुत्र दल्ला DW.-1, कन्हैयालाल पुत्र मूलाराम DW.-2, भोमाराम पुत्र मूलाराम DW.-3 के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किये गये गवाह DW.-1, DW.-2 को परीक्षित करवाया गया।
8. पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट सोठाना दिनांक 25.06.2018 को पेश हुई।
9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–
   तनकी संख्या 1 :– आया खण्ड संख्या 1 वादपत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 66/0.01 हैक्टेयर में चाह बनी हुई है एवं खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर का बांटकर काश्त कर रहे है, जिसका कानूनी बंटवारा कराने का वादी अधिकारी है ?
   इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा। इस तनकी के समर्थन में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी (खतौनी) खाता संख्या 67 संवत् 2060–2067 Ex.-1 पेश की, जिसके मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 66/0.01, 68/0.20 हैक्टेयर की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 129 दिनांक 13.07.2004 के द्वारा मृतक भूरा के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि वादी आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 66/0.01, 68/0.20 हैक्टेयर की काश्त नहीं करता है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का लगभग अर्सा 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 66/0.01 हैक्टेयर पर बने चाह का निर्माण प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं कराया है। मौके पर खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर का बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से आराजी क्रय की है। इसके संबंध यह कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी ने वादी द्वारा जमीन विक्रय करने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादी ने अपने हिस्से की जमीन का प्रतिवादी को बेचान नहीं किया है, जहां तक आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी का कब्जा होने का प्रश्न है उसके संबंध मे यह कि सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के खिलाफ एडवर्स पजेशन का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि एक सहखातेदार का कब्जा सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है। वादी ने अपने हिस्से का कभी बेचान नहीं किया है। आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसका कानूनी बंटवारा कराने का वादी को अधिकार है। वादी ने इस तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। अतः तनकी संख्या 1 बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादी, प्रतिविादीगण को अपने हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करने के लिए पाबन्द कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी रहा। वादी ने तनकी संख्या 1 को बखूबी साबित किया है। आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के खिलाफ एडवर्स पजेशन का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि एक सहखातेदार का कब्जा सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है। यह भी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की अधिकारिता न्यायालय हाजा को नहीं है। वादी गवाह च.1 ने अपनी जिरह में बयान किया है कि उभय पक्षकारान ने आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 68 को उत्तर–दक्षिण बांटरखा है, लेकिन प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में दखल करते है। अतः प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत एवं उचित पाता हूॅ। तनकी संख्या 2 बहक वादी निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया खसरा नम्बर 66/0.01 में बना चाह प्रतिवादी संख्या 1 का स्वयं का बनाया हुआ है एवं खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर का 1/2 भाग प्रतिवादी ने वादी से क्रय किया हुआ है, वादी का कोई हिस्सा नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा। मुताबिक Ex.-1 आराजी मुतनाजा उभय पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भूराराम का मृत्युभोज प्रतिवादी संख्या 1 ने किया था, जिसकी लागत राशि के हिस्से मे वादी ने अपना हिस्सा रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को दिया है, तब से

प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त होने से प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है। जहां तक आराजी मुतनाजा में वादी का रकबा क्रय करने का प्रश्न है उसके संबंध में प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। मृतक भूरा के मृत्युभोज खर्च राशि के संबंध में वादी ने Ex.-4 पेश किया है, जिसमें राशि 1200/–रूपये प्रतिवादी को अदा करने की लिखावट है। प्रतिवादी को आराजी मुतनाजा में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः तनकी संख्या 3 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया खसरा नम्बर 68 सम्पूर्ण रकबे पर प्रतिवादी का कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने एवं वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा। आराजी मुतनाजा उभय पक्षकारान की दादालाई पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि है। जहां तक आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी का कब्जा होने का प्रश्न है उसके संबंध मे यह कि सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के खिलाफ एडवर्स पजेशन का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि एक सहखातेदार का कब्जा सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है, यह भी कि एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी सहखातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायसंगत है। तनकी संख्या 4 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया वादी ने वर्ष 1981 में गावं के पंचों के निर्णय अनुसार कर्जा के 1200/–रूपये अदा कर दिये थे, प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि का कभी कोई बेचान नहीं किया ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर रहा। पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि वादी ने अपने हिस्से का बेचान प्रतिवादी को किया हो। वादी ने वर्ष 1981 में कर्जा रूपये 1200/– प्रतिवादी को अदा करने बाबत Ex.-4 पेश किया है, जिसमें स्पष्ट लिखित है कि मूसा ने 1200/–रूपये दल्ला को अदा कर दिया है यह लिखावट दिनांक 17.10.1981 की है। वादी ने प्रतिवादी को आराजी मुतनाजा का बेचान नहीं किया है। अतः तनकी संख्या 5 बहक वादी निर्णीत की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10. यह भी कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। तथा प्रकरण दिनांक 11.07.2016 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से मौके एवं राजस्व रिकार्ड को मध्यनजर रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार विराटनगर की कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रावली में प्राप्त हुई है। अतः तनकीवार उपर्युक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार उभय पक्षकारान के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाता है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	दल्लाराम पुत्र भूराराम	68/0.10 हैक्टेयर
2	प्रभाती देवी पत्नि मूसाराम, रेवडराम, कैलाश पिता मूसाराम, सन्ती देवी, श्रवण देवी पुत्रिया मूसाराम	68/1/0.10 हैक्टेयर
3	दल्लाराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/2 प्रभाती देवी पत्नि मूसाराम, रेवडराम, कैलाश पिता मूसाराम, सन्ती देवी, श्रवण देवी पुत्रिया मूसाराम हिस्सा 1/2	66/0.01 हैक्टेयर (गैरमुमकीन चाह)

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। मौके पर वादी को बंटवारे की भूमि का पृथक से कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में वादी को प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.06.2018 को मजमे आम कैम्प कोर्ट सोठाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : सोठाना **दिनांक 25.06.2018**
बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

1. मूसाराम पुत्र भूराराम (फौत) — समस्त जाति धानका निवासी सोठाना तहसील विराटनगर
   - 1/1. रेवड राम } पुत्रान मूसाराम
   - 1/2. कैलाश }
   - 1/3. प्रभाती देवी पत्नि मूसाराम
   - 1/4. सन्ती देवी } पुत्रियां मूसाराम
   - 1/5. श्रवण देवी }

–– वादीगण

बनाम

1. दल्लाराम पुत्र भूराराम (फौत)
   - 1/1. सुन्दरी पत्नि दल्लाराम जाति धानका निवासी सोठाना, विराटनगर
   - 1/2. बीली पुत्री दल्लाराम पत्नि हरिराम जाति धानका निवासी द्वारापुर तहसील थानागाजी, जिला अलवर
   - 1/3. सरस्वती पुत्री दल्लाराम पत्नि शेखर } जाति धानका निवासी मानास
   - 1/4. हुरमा पुत्री दल्लाराम पत्नि रमेश } थानागाजी, जिला अलवर
2. ओंकार } पुत्रान दल्लाराम जाति धानका निवासी सोठाना
3. बाबूलाल } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
4. अर्जुन }
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

–– प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 42/2006 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री गणपतलाल पंसारी एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम सोठाना के खसरा नम्बर 68/0.20 हैक्टेयर कानूनी बंटवारा कराया जाकर रकबा 0.10 हैक्टेयर उत्तरी भाग का वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादी की उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	दल्लाराम पुत्र भूराराम	68/0.10 हैक्टेयर
2	प्रभाती देवी पत्नि मूसाराम, रेवडराम, कैलाश पिता मूसाराम, सन्ती देवी, श्रवण देवी पुत्रिया मूसाराम	68/1/0.10 हैक्टेयर
3	दल्लाराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/2 प्रभाती देवी पत्नि मूसाराम, रेवडराम, कैलाश पिता मूसाराम, सन्ती देवी, श्रवण देवी पुत्रिया मूसाराम हिस्सा 1/2	66/0.01 हैक्टेयर (गैरमुमकीन चाह)

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। मौके पर वादी को बंटवारे की भूमि का पृथक से कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में वादी को प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.06.2018 को मजमे आम कैम्प कोर्ट सोठाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25.06.2018** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर